<u>रजिस्टर्ड/सील्ड</u>

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-1182/2026/809/22-2-2026-17(388)/2026
लखनऊ : दिनांक: 07 सितम्बर, 2026

<u>आदेश</u>

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त 2018 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018,दिनांक 28.07.2021 तथा शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-2(घ) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत 07 अप्रैल, 2026 (विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026) के अवसर पर केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामप्रकाश सिंह (बंदी संख्या-103/2018) पुत्र श्री शिवशंकर सिंह, ग्राम-चौबेपुरा, थाना-भलुअनी, जनपद-देवरिया, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-324/2013 में भा0द0वि0 की धारा-147, 504, 323 सपठित धारा 149, 302 सपठित धारा 149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-2, देवरिया के आदेश दिनांक-14.10.2015 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित है, बन्दी द्वारा दिनांक-07.04.2026 तक अपरिहार 12 वर्ष, 01 माह, 28 दिन एवं सपरिहार 14 वर्ष, 00 माह, 01 दिन की सजा भोगी गयी है तथा जेल आचरण संतोषजनक है, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए रूपये 50000/-(रूपये पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

<u>संख्या-1182/2026/809(1)/22-2-2026 तद्दिनांक :</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद- देवरिया।
3- पुलिस अधीक्षक, जनपद- देवरिया।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।